<u>वेबसाइट के माध्यम से</u>

सं-12015/03/2025-रा.भा (तक.)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
तकनीकी कक्ष
******

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 30 जुलाई, 2025

कार्यालय ज्ञापन

राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस-2025 एवं पांचवां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन दिनांक 14-15 सितंबर, 2025 को महात्मा मंदिर कन्वेंशन एवं एग्जिबिशन सेंटर, गांधीनगर, गुजरात में किया जा रहा है। इस समारोह की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी करेंगे।

2 सभी मंत्रालयों/विभागो/बैंकों/उपक्रमों/ स्वायत संस्थानों/ संवैधानिक निकायों/बोर्डों / संबद्ध कार्यालयों /अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों से अनुरोध है कि वे अपने यहाँ के राजभाषा से जुड़े सभी कार्मिकों और राजभाषा का काम देख रहे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करवाएं। साथ ही अनुरोध है कि नामित किए जाने वाले अधिकारियों को निर्देशित करें की वें सम्मलेन के दौरान दोनों दिवसों पर सभी सत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करें।

3. पंजीकरण की अंतिम तिथि अगस्त-2025 माह के अंतिम सप्ताह रखी गयी है (जिसे निर्धारित संख्या में पंजीकरण प्राप्त होने पर पहले भी बंद किया जा सकता है) ।

4. सम्मेलन में प्रतिभागिता हेतु प्रतिभागियों द्वारा अपने कार्यालय से अनुमति उपरांत राजभाषा विभाग की वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर दिए गए लिंक https://164.100.54.224/hds2025 पर अपना पंजीकरण (निःशुल्क) करना आवश्यक हैं । **पंजीकरण के बिना सम्मेलन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।**

5. राजभाषा विभाग द्वारा सम्मेलन में सहभागिता करने वाले प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार के यात्रा एवं दैनिक भत्ते नहीं दिए जाएंगे । यात्रा एवं दैनिक भत्तों का भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा नियमानुसार वहन किया जाएगा।

ANIL KUMAR

Digitally signed by ANIL KUMAR
DN: c=IN, o=MINISTRY OF HOME AFFAIRS, ou=Dept of OFFICIAL LANGUAGE MHA, postalCode=110001, st=Delhi, serialNumber=CA6F76C1DEBC34B883F399D7802237CAB13355BB732F31472B1029817A67EB23, cn=ANIL KUMAR
Date: 2025.07.30 17:33:14 +05'30'

(अनिल कुमार)
उप सचिव (कार्यान्वयन)
फोन: 011-23438129

प्रतिः-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/बैंक/उपक्रम/ स्वायत संस्थान / संवैधानिक निकाय/ बोर्ड/ संबद्ध कार्यालय /अधीनस्थ कार्यालय आदि के कार्यालय प्रमुख।